

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 51/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार -विक्रेता -
 2. श्री राकेश कुमार सेन पुत्र श्री मनी राम -मालिक-
- निवासी 5 ई छोटी, नाईवाला, जिला श्रीगंगानगर, मै० श्री गणेश स्वीट्स, 5 ई छोटी, नाईवाला, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक 29.11.2024

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्ता (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक- आयुक्ता०/खामुआनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.08.2024 को समय 06.10 पी.एम. बजे मै० श्री गणेश स्वीट्स, 5 ई छोटी, नाईवाला, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार (विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान पर स्टील ट्रे में रखे समोसा नमकीन के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्टील ट्रे के अंदर रखे 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए दरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र (विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।


 अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
 श्रीगंगानगर


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) में से 02 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) का नगद भुगतान 240/- रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2431 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2431 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./994/Act/2024/994 Dated 28-08-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-2431 Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मनीराम, मै0 श्री गणेश स्वीट्स, 5 ई छोटी, नाईवाला, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का समोसा नमकीन (रिफाइण्ड सोयाबीन से निर्मित) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत किया गया।



(Signature)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

1154V

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण का एक व्यवसाय गणेश स्वीट के नाम से चक 5 ई छोटी नाईयांवाली में चल रहा है तथा उक्त होटल में समोसा बनाकर विक्रय का काम किया जाता है तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीगण के होटल जाकर प्रार्थी द्वारा निर्मित समोसा का सेम्पल लिया गया तथा सेम्पल सबस्टेडर्ड पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा जो समोसा तैयार किया जाता है वह रिफाइंड सोयाबीन से निर्मित तेल जो कि बंद पैकिंग बाजार से लेकर किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा तेल स्वयं तैयार नहीं किया जाता। प्रार्थीगण को उक्त तेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तथा ना ही उसे तेल के बारे में क्वालीटी का ज्ञान था। प्रार्थीगण लोक अदालत की भावना से श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उक्त पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण आईदा पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। प्रार्थीगण एक छोटा व्यापारी है तथा उसे कानून का ज्ञान नहीं था। आईदा प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बर व
रीख


1640
81101

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया समोसा नमकीन (रिफाइंड सोयाबीन से निर्मित) का सैम्पल K-2431 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- L.S./994/Act/2024/994 Dated 28-08-2024 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा तेल स्वयं तैयार नहीं किया जाता। प्रार्थीगण को उक्त तेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तथा ना ही उसे तेल के बारे में क्वालीटी का ज्ञान था। प्रार्थीगण लोक अदालत की भावना से श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उक्त पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण आईदा पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। प्रार्थीगण एक छोटा व्यापारी है तथा उसे कानून का ज्ञान नहीं था। आईदा प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Samosa(Made in Refined Soyabean Oil)" bearing Code No and Sr. No. K-2431, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as Extracted Oil does not conform the standard of Soyabean Oil as prescribed in Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011 की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मनीराम, मै0 श्री गणेश स्वीट्स, 5 ई छोटी, नाईवाला, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्त श्री रामप्रताप पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार और श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मनीराम, मै0 श्री गणेश स्वीट्स, 5 ई छोटी, नाईवाला, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000-00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।